मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ - 11/8/2006/नियम/चार भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर, 2006

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कमिश्नर
समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश ।

विषय- ब्रम्हस्वरूप समिति की अनुशंसाओं के अनुसार वेतनमानों का पुनरीक्षण ।

संदर्भ- सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश क्रमांक एफ.2-6/1/वे.आ.प्र./96, दिनांक 5/17 अक्टूबर, 2006

***

राज्य शासन द्वारा शासकीय सेवकों को प्रदत्त पुनरीक्षित वेतनमानों में संशोधन, परिवर्तन, पुनरीक्षण तथा अन्य सेवा शर्तों पर विचार करने हेतु ब्रम्हस्वरूप समिति, सचिव स्तरीय समिति एवं मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा पर विचार कर सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित आदेश दिनांक 5/17 अक्टुबर, 2006 द्वारा निम्नानुसार निर्णय प्रसारित किया गया है :-

(i) उक्त आदेश की कंडिका 5.1 के अनुसार परिशिष्ट-1 के कालम-4 में दर्शाए अनुसार विभागों के अधीनस्थ पदों को उच्च वेतनमान स्वीकृत किया गया है । यह बढा हुआ वेतनमान दिनांक 1-4-2006 से देय होगा ।

(ii) कंडिका 5.2 के अनुसार उक्त आदेश के संलग्न परिशिष्ट-2 के कालम-4 में दर्शाए अनुसार विभागों के अधीनस्थ पदों को विद्यमान वेतनमान से निम्न वेतनमान स्वीकृत किया गया है । यह संशोधित वेतनमान भविष्य में की जाने वाली पदोन्नति /_भरती के लिए लागू होगा । वर्तमान में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतनमानों में कमी नहीं की जावेगी ।

(iii) उक्त आदेश की कंडिका 5.3 के अनुसार परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2 के अतिरिक्त शेष समस्त पदों का वेतनमान यथावत् रखा जाकर अपरिवर्तित रहेगा ।

(iv) कंडिका 5.4 के अनुसार विभाग के अधीन यदि उक्त कंडिका में वर्णित पद हैं, तो उन पदों के संबंध में विभागों द्वारा प्रत्येक के नीचे उल्लेख के अनुसार कार्यवाही की जावेगी ।

(v) कंडिका-6 में स्पष्ट किया गया है कि विभागों द्वारा बढे हुए वेतन का लाभ विभागीय भरती नियमों में संलग्न परिशिष्ट क्रमांक -1,2 एवं उक्त आदेश के पैरा-5.4 के अनुसार आवश्यक संशोधन करने के पश्चात् ही दिया जा सकेगा ।

2/ समस्त विभांगों द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के उक्त आदेशों के अनुसार कार्यवाही कर संबंधित भरती नियमों में संशोधन की आवश्यक कार्यवाही की जाए ।

3/ संशोधित वेतनमानों में वेतन निर्धारण सामान्य नियमों के अनुसार अर्थात् मूल नियम-22 के नीचे दिए गए ए.जी.आई. के साथ पठित मूल नियम-23 के प्रावधानों के अनुसार होगा । प्रभावित शासकीय सेवकों को संशोधित वेतनमानों के आदेश के प्रसारण की तिथि से 3 माह की समयावधि में संशोधित वेतनमान पर आने की तिथि बाबत् अथवा अपना वर्तमान वेतनमान बनाए रखने हेतु विकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति होगी । विकल्प का एक बार किया गया प्रयोग अन्तिम माना जावेगा । निर्धारित समयावधि में विकल्प प्रस्तुत नहीं किये जाने पर यह माना जावेगा कि कर्मचारी ने दिनांक 1.4.2006 से संशोधित वेतनमान का चयन कर लिया है और तदनुसार ही दिनांक 1.4.2006 से उसका वेतन संशोधित वेतनमान में निर्धारित किया जावेगा ।

4/ सामान्य प्रशासन विभाग के उक्त आदेश दिनांक 5/17 अक्टूबर, 2006 के संलग्न परिशिष्ट-1 में दर्शाए अनुसार विभागों के अलावा कुछ अन्य विभाग ऐसे हो सकते हैं, जिनका उल्लेख परिशिष्ट-1 में नहीं है, परन्तु उल्लेखित पद उन विभागों के अन्तर्गत विद्यमान हैं । अतः ऐसे मामलों में विभाग ऐसे पदों को परिशिष्ट-1 में सम्मिलित किए जाने हेतु प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित करे, ताकि छूटे हुए पदों / संवर्गों को भी पुनरीक्षित वेतनमानों का लाभ प्राप्त हो सके ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

अजीत

(ए.पी. श्रीवास्तव)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

क्रमांक : एफ 11/8/2006/नियम/चार भोपाल, दिनांक१५ दिसम्बर, 2006

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव / निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल /जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल / इंदौर/ ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी / (आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल / माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव / सचिव / उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
16. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशन के लिए,
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/ अभिलेख / मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी / उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(पी.सी. वर्मा)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

शाकेमुभो—1269—असविविभो—16-12-2006—500 प्रतियां.